

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2002

का.आ. 1118(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 832(अ०)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कर्णप्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्णा राव रोड, तेनामपेठ, चेन्नई 600018, तमिलनाडु, द्वारा राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ चेन्नई में अनाथ और बेसहारा बच्चों तथा परित्यक्त शिशुओं के लिए पालना एवं दत्तक केन्द्र को चलाने के लिए कर निर्धारण वर्ष - 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 18 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना सं० सा० आ० 1047(अ०)द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ,

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 उ के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 20.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 40.00 लाख रुपये से संशोधित करके 40.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 20.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है,

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) कर्णप्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्णा राव रोड, तेनामपेठ, चेन्नई-600018, तमिलनाडु, द्वारा राजा कृष्णराव रोड, तेनामपेठ चेन्नई में चलाई जा रही अनाथ और बेसहारा बच्चों तथा परित्यक्त शिशुओं के लिए पालना एवं दत्तक केन्द्र को चलाने के लिए की परियोजना अथवा स्कीम को विनिर्दिष्ट करती है ।

(ख) दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं० सा० आ० 832(अ०) में आगे निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं नामतः

अधिसूचना की सारणी में क्रम सं० 7 के सामने कालम 4 में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत से संबंधित “ केवल बीस लाख रुपये की कार्पस निधि सहित चालीस लाख रुपये” को कुल परियोजना लागत में बिना कोई परिवर्तन किए “चालीस लाख रुपये की कार्पस निधि सहित बीस लाख रुपये” प्रतिस्थापित करती है ।

[सं. 316-2002/फा. सं. एन.सी.-90/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)